न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64/2018/प्रा.पत्र/2018	20.12.2018	29.08.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री महावीर सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक सचिव मैसर्स मेहन्दवास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राज0
2– मैसर्स मेहन्दवास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 29.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.07.2018 को समय 10.00 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मेहन्दवास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री महावीर सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक सचिव मैसर्स मेहन्दवास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का सचिव होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि मैसर्स मेहन्दवास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास पर **मिश्रित दूध** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री महावीर सिंह को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महावीर सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास मे रखे **मिश्रित दूध** एक ड्रम मे 40 लीटर व 1 बीएमसी मे लगभग 800 लीटर मे से 2 लीटर एक स्टील के जग मे नपवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महावीर सिंह को रू0 84/–अक्षरे चौरासी रूपये नगद देकर रसीद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिश्रित दूध** 2 लीटर के 4 भाग तैयार कर चार साफ एंव सुखी कांच की शिशियो मे वरावर–वरावर (प्रत्येक शिशी मे 500 ग्राम) अलग–अलग ज्यो का त्यो डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट वंद कर व लेवल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ. कोड एवं कमांक I–1950 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1950 नियमांनुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से वांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. महावीर सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील वन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/2098 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/395/एक्ट/2018/401 दिनांक 01. 08.2018 अनुसार महावीर सिंह से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मिश्रित दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मिश्रित दूध** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाव प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने वहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिश्रित दूध** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने वहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)अप्रार्थी श्री महावीर सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक सचिव मैसर्स मेहन्दवास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड टोडारायसिंह रोड मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक राज0 पर शास्ति 11,000 (अक्षरे ग्यारहा हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.08.2019 से एक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner